(64)

माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा

पनरीक्षण कमांक R5083-II- /16

Rs. 30/-

1. रामनिवास | पिता श्री जगन्नाथ प्रसाद उपाध्याय, कौम ब्रा0, निवासी ग्राम भॉटी, तह0
2. रामखेलावन | हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)—— **निगरानीकर्ता / आवेदकगण**

(अनावेदक)

बनाम

1. प्रेमलाल | पिता स्व0 श्री ददोलीराम तिवारी, कौम ब्राम्हण,
2. रोशन
3. ब्यासमुनि
4. श्रीमती मुन्नी बेवा, पत्नी स्व0 श्री हेतलाल तिवारी, कौम ब्रा0

सभी निवासी ग्राम भॉटी, तह0 हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)—— **गैरनिगराकार / अनावेदक**

(आवेदकगण)

श्यामबिहारी त्रिपाठी द्वारा आज दिनांक 16-2-2016 को प्रस्तुत किया गया

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध कार्यवाही एवं आदेश तहसीलदार तहसील हुजूर, जिला रीवा, प्रकरण कमांक 294/अ–6/013--014 आदेश तहसीलदार तहसील हुजूर,जिला रीवा, प्रकरण कमांक 294/अ–6/013–014 आदेश दिनॉक 12.01.016 जिसके द्वारा अनावेदक क0 2, 3 (माननीय न्याया0 में निगरानीकर्ता) की वैधानिक आपत्ति विरूद्ध कार्यवाही नामान्तरण आपत्ति आवेदन पत्र दिनॉक 10.09.014 निरस्त किया गया।

निगरानी (पुनरीक्षण आवेदन) अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0 राजस्व संहिता, 1959 ई।

मान्यवर,

मामला संक्षिप्त में इस प्रकार हैः–

अधीनस्थ न्यायालय में आवेदकगण (माननीय न्यायालय में गैर निगराकार) द्वारा ग्राम भॉटी पटवारी हल्का इटौरा क0 17 (वर्तमान में पटवारी हल्का सोनौरा न. 25) तह0 हुजूर, जिला रीवा में स्थित भूमि ख0क0 435 रकवा 0.09 के नामान्तरण बावत आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 109/110 म0प्र0भू0 रा0 संहिता, 1959 ई. दिनॉक 06.01.011 को प्रस्तुत किया गया।

रामनिवास उपाध्याय

(64)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R 5083 - दो/16 जिला– रीवां

राम निवास उपाध्याय विरूद्ध प्रेम लाल तिवारी व अन्य

(1)	(2)	(3)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री श्याम बिहारी त्रिपाठी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ ~~नायब तहसीलदार/ राजस्व~~ निरीक्षक, तहसील हजूर के प्रकरण क्रमांक 294/अ6/13-14 में पारित आदेश दिनांक 12-1-16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 6.3.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	